

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर - 302005

क्रमांक : एफ (1)/1(212) आ.उ./पीएडी अनु./मृ.आ.नि./2020

दिनांक : 25.01.2021

:: आदेश ::

श्री कमलेश कुमार, जो कि निजी सहायक के पद पर जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा में कार्यरत थे, का आकस्मिक निधन दिनांक 01.08.2020 को राजकीय सेवा में रहते हुए हो गया था। श्री देवेन्द्र कुमार उनके पुत्र हैं और उन पर पूर्णतः आश्रित थे। श्री देवेन्द्र कुमार ने राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है। श्री देवेन्द्र कुमार विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य पाये गये हैं।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री देवेन्द्र कुमार की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जाती है। श्री देवेन्द्र कुमार का पदस्थापन कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद के प्रति किया जाता है। श्री देवेन्द्र कुमार को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अस्थाई आधार पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक 12400/-रुपये प्रतिमाह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। तत्पश्चात् परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के पे-मेट्रिक्स लेवल-1 (प्रथम सेल) के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन तथा नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

श्री देवेन्द्र कुमार की जन्मतिथि जिला स्तरीय कक्षा 8 वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 2001-02, जिला बांसवाड़ा की अंकतालिका के अनुसार 13.05.1988 है एवं शैक्षणिक योग्यता 8 वीं अनुत्तीर्ण है। श्री देवेन्द्र कुमार प्रस्तुत मूल निवास प्रमाण पत्र के अनुसार उपला भोईवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान के मूल निवासी है एवं प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के अनुसार भोई (ओबीसी) अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं।

नियुक्ति की शर्तें :-

1. यह नियुक्ति अस्थाई है। अभ्यर्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के प्रावधानानुसार 2 वर्ष तक परिवीक्षाधीन अवधि में रहेगा।
2. परिवीक्षा अवधि में कोई कोई वार्षिक वेतनवृद्धियां देय नहीं होगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. नियुक्ति आदेश जारी होने से 4 सप्ताह तक की अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
5. राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) राज., जयपुर की अधिसूचना दि. 27.2.2001 के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर - 302005

6. राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) के आदेश दिनांक 20.6.01 के अनुसार यदि श्री देवेन्द्र कुमार के दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होने के कारण यह नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जायेगा।
7. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
8. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(1)वित्त/नियम/2013 दि.28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।


(अर्चना सिंह)
आयुक्त, उद्योग

क्रमांक : एफ (1)/1(212) आ.उ./पीएडी अनु./मृ.आ.नि./2020

दिनांक : 25-01-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा को **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा प्रेषित कर लेख है कि श्री देवेन्द्र कुमार के मूल चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न भिजवाये जा रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों की एक सत्यापित प्रति प्राप्त कर मूल से मिलान कर उसकी पुष्टि करेंगे व कार्मिक के कार्यग्रहण की सूचना नियुक्ति शाखा, मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
2. उप निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर अनुभाग), मुख्यालय, जयपुर।
3. श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री कमलेश कुमार, निवासी-उपला भोईवाड़ा, बांसवाड़ा, (राज०) 327001 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा प्रेषित है।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।


25/1/2021
(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग
(प्रशासन)